पंजाब केसरी
TUE,02 JUNE 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा नियमों में किया संशोधन

अब परीक्षा केंद्रों पर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना अनिवार्य

■ 6 महीने का डाटा बैकअप और स्टैटिक आई.पी. एड्रैस हुआ अनिवार्य

धर्मशाला, 1 जून (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपने परीक्षा विनियमों में बदलाव किया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा विनियमों के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में विशेष संशोधन कर दिया गया है।

इस नए संशोधन के तहत अब प्रदेश के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षा कक्षों, हॉलों तथा मुख्य प्रवेश व निकास (एंट्री-एग्जिट) बिंदुओं पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से किए गए इस बदलाव के बाद अब परीक्षा केंद्रों को कई कड़े तकनीकी नियमों का पालन करना होगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता को लेकर किया गया है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि ऑडियो (आवाज) रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान होने वाली हर गतिविधि की प्रभावी निगरानी की जा सके।

इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों की निगरानी प्रणाली के लिए नैटवर्क वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पूरी परीक्षा का कम से कम 6 महीने (6 माह) का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

तकनीकी रुकावटों को दूर करने के लिए बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि सी.सी.टी.वी. प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली इंटरनैट कनैक्टिविटी स्थायी यानी स्टैटिक आई.पी. एड्रैस प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे मुख्य कार्यालय से निगरानी व्यवस्था बिना किसी बाधा के लाइव संचालित हो सके और जरूरत पड़ने पर पुरानी रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच बनाई जा सके।

> "परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर परीक्षा केंद्र पर सी.सी.टी.वी. निगरानी व्यवस्था को बेहद सुदृढ़ और आधुनिक तकनीक से लैस बनाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी स्तर पर होने वाली अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और योग्य व मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। सभी परीक्षा केंद्रों को इन नए संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
>
> 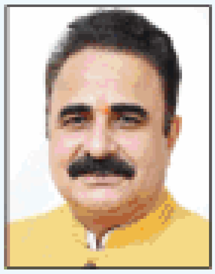
>
> –डा. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।

Dainik Jagran 02-06-2026

परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी और मजबूत होगी

- इसके लिए बोर्ड परीक्षा विनियमों में किया गया है संशोधन
- सभी शिक्षण संस्थानों से नियमों का पालन करने की अपील

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बोर्ड परीक्षा विनियमों के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2 (1) में संशोधन किया है। डा. शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षा आरंभ होने से पहले सभी परीक्षा कक्षों-हालों, प्रवेश एवं निकास में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो व आडियो रिकार्डिंग से भी युक्त होने चाहिए ताकि परीक्षा की प्रभावी निगरानी की जा सके।

डा. राजेश शर्मा • जागरण आर्काइव

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में निगरानी के लिए नेटवर्क वीडियो रिकार्डर (एनवीआर) का उपयोग करना अनिवार्य होगा और उसमें कम से कम छह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सीसीटीवी प्रणाली में प्रयुक्त आइपी एड्रेस, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके और आवश्यकता पड़ने पर रिकार्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल व अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों व शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

Amar Ujala 02-06-2026

केंद्रों में परीक्षा से पहले ही लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला

धर्मशाला। बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में संशोधन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों, हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही उसमें कम से कम महीने का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक व अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो

Himachal Dastak 02-06-2026

परीक्षा केंद्रों में निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बोर्ड परीक्षा विनियमों में संशोधन

स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने दी जानकारी

हिमाचल दस्तक ▌ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में संशोधन किया गया है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों/हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम 6 माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सीसीटीवी प्रणाली में प्रयुक्त आईपी एड्रेस/नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल एवं अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Apka Faisla 02-06-2026

परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु बोर्ड परीक्षा विनियमों में संशोधन

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में संशोधन किया गया है। डॉ. शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों/हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए Network Video Recorder का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम 06 माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही

सीसीटीवी प्रणाली में प्रयुक्त IP Address/Network Connectivity स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल एवं अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Divya Himachal 02-06-2026

बोर्ड परीक्षाओं में सख्त होगी निगरानी

सीसीटीवी रिकार्डिंग का छह माह बैकअप रखना अनिवार्य

नगर संवाददाता – धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों (एग्जामिनेशन रेगुलेशंस) के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में संशोधन किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों/हालों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकार्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क विडीयो रिकार्डर (एनवीआर) का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम छह माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सीसीटीवी प्रणाली में प्रयुक्त आईपी ऐड्रेस/नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थायी (स्टैटिक) प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- पारदर्शिता बढ़ाने को परीक्षा नियमों में संशोधन

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल एवं अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

डिजिटल अख़बार
पहली नजर
सबसे पहले, सबसे तेज
01 जून, 2026 www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com
आज की ताजा ख़बर देखते रहिए डिजिटल न्यूज़ पेपर पहली नजर के साथ

परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु बोर्ड परीक्षा विनियमों में संशोधन

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों (Examination Regulations) के अध्याय-8 'परीक्षा केंद्रों का सृजन' के अंतर्गत नियम 8.2.2 (1) में संशोधन किया गया है।

परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पहले सीसीटीवी की स्थापना होगी अनिवार्य

डॉ. शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों/हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर CCTV कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी CCTV कैमरे

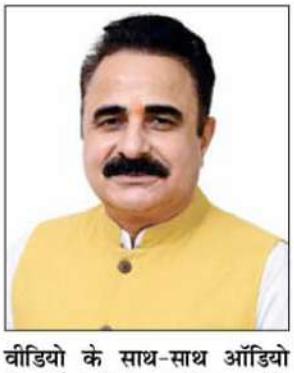

वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए Network Video Recorder (NVR) का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम 06 माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही CCTV प्रणाली में प्रयुक्त डुक्क एड्रेस/नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थायी (स्टैटिक) प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल एवं अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।